नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिलाश्रीगंगानगर (राज.)
फोनः 01509–223873
ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar

सीएसएफ/2-10/फोडर/2022- **दिनाँक:** 25.03.2023

<u>निविदा सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **केन्द्रीय** राज्य फार्म, सूरतगढ़ में रबी 2022–23 में बोई गई जौ (565.50 एकड़) व जई (221.00 एकड़) की फसलों की कटाई के बाद तूड़ी (भूसा) बनाने हेतू इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियो से आर्फलाइन सीलबंद निविदाएँ दिनांक 03.04.2023 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन बोली उपरांत 3.00 बजे खोली जायेगी। इच्छुक योग्य व्यक्ति/फर्म निविदा में भाग लेने हेतू आमंत्रित है। निविदा में भाग लेने से पहले 236/– रुपये निविदा फार्म शुल्क व प्रति चक के लिए 10,000/– रुपये धरोहर राशि डी.डी.या NEFT/RTGS के माध्यम से फार्म खाते में जमा करवाना होगा जो कि राष्ट्रीय बीज निगम के नाम से देय होगा । निविदा हेतू विस्तृत विवरण , निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम शर्ते निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.comपर देखी जा सकती है।

प्रबंधक (उत्पादन)

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0)

फार्म क्षेत्र में तूड़ी (फोडर) बनाने के लिए नियम व शर्ते

1. निविदा/खुलीबोली में भाग लेने के लिए इस कार्यालय में धरोहर राशि रू0 10000 (रू–दस हजार मात्र) प्रत्येक चक के लिए डी– डी. जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ** के नाम देय हो फार्म खजांची के पास जमा करवाने होगें। एक से ज्यादा चक लेने पर प्रत्येक चक की रू0 10000/– अलग से जमा कराने होगें। तभी ई–निविदा/निविदा प्रपत्र/खुलीबोली मान्य होगे। धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। खरीदे गये क्षेत्र की 25 प्रतिशत रकम कार्यादेश जारी होने के **तीन दिवस में जमा करानी होगी**। यदि 25 प्रतिशत रकम जमा नहीं की तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी । ठेकेदार को पेन नम्बर, वोटर पहचान पत्र की प्रति देनी जरूरी है।
2. जौ, गेंहू व जई की तूडी बनाने के लिए कार्य शुरू करने से पहले खरीदे गये क्षेत्र की सम्पूर्ण रकम जमा करानी होगी।
3. थ्रैसर, मजदूर, ट्रैक्टर–ट्राली आदि सभी की ब्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी ।
4. तूड़ी बनाने के समय गेहूं, जौ व जई का दाना (अनाज) निकलेगा वह फार्म में जमा कराना होगा।
5. तूड़ी की ट्राली/ट्रक को बाहर ले जाने से पहले संबंधित चक ईन्चार्ज से गेट पास लेना होगा।
6. ठेकेदार स्वयं गेटपास पर हस्ताक्षर करे अथवा अपने व्यक्ति को अधिकार पत्र दे जो कि गेट पास पर हस्ताक्षर करे।
7. तूड़ी बनाने का कार्य **सील्ला चुगाई** करने के बाद ही शुरू करना होगा तथा चक ईन्चार्ज के बताने पर ही कार्य शुरू करना होगा।
8. तूड़ी बनाने व ले जाने का कार्य सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 तक करना होगा। तूड़ी बनाने का समय कटाई के 15 दिन बाद तक का होगा।
9. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा ।
10. कार्य करने के दौरान यदि ठेकेदार द्वारा फार्म की अन्य सम्पत्ति का कोई नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी तथा तूड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तूड़ी लेने वाले ठेकेदार की होगी। यदि प्राकृतिक आपदा से तूड़ी में नुकसान हुआ तो फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।
11. तूड़ी बनाते समय या ले जाते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।

13 यदि कोई ठेकेदार कार्य बीच में छोड़ देता है तो उसकी अमानत राशि व 25 प्रतिशत रकम जब्त कर ली जायेगी ।

14 यदि ठेकेदार द्वारा फार्म के अधिकारियों या कर्मचारियों से दुर्वव्यवहार किया जाता है तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं अमानत राशि जब्त करते हुये काली सूची में डाल दिया जायेगा।

15 सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।

16 यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संषोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

निविदा प्रपत्र

फार्म निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)

रबी 2022-23 में बोये गये फार्म क्षेत्र में गेहूँ, जौ व जई की कटाई के बाद तूड़ी (फोडर) बनाने के लिये निविदा दिनाँक 03.04.2023

ब्लॉक संख्या	चक संख्या	तूड़ी बनाने का क्षेत्र (एकड़ में)			दर प्रति एकड़ रुपयों में (जो फार्म में जमा करवाना है)		
		गेहूँ	जौ	जई	गेहूँ	जौ	जई
1	44 STG	0.00	212.00	0.00			
	BRP-1	0.00	24.00	0.00			
TOTAL		**0.00**	**236.00**	**0.00**			
2	31B PBN	0.00	42.00	86.00			
	33 PBN	0.00	105.00	0.00			
	RPM-2	0.00	122.50	86.00			
	RPM-3	0.00	0.00	31.00			
TOTAL		**0.00**	**269.50**	**203.00**			
3	34 PBN	0.00	60.00	18.00			
TOTAL		**0.00**	**60.00**	**18.00**			
GRAND TOTAL		**0.00**	**565.50**	**221.00**			

हस्ताक्षर ....

नाम व पता ....

....

मोबाईल नं : ....